The Academic
International Journal of Multidisciplinary Research
An Online Peer Reviewed / Refereed Journal
Volume 3 | Issue 11 | November 2025
ISSN: 2583-973X (Online)
Website: www.theacademic.in

महिला आरक्षण विधेयक 2023 का महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व एवं सामाजिक सशक्तिकरण पर प्रभाव:एक समकालीन विश्लेषण

डॉ. शिवहर्ष सिंह
प्रोफेसर,राजनीति विज्ञान विभाग,ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, इलाहाबाद विश्वविद्यालय,प्रयागराज
किरन कुमारी
शोध छात्रा, राजनीति विज्ञान विभाग, ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज

DOI : https://doi.org/10.5281/zenodo.17922538

ARTICLE DETAILS

Research Paper
Accepted: 22-11-2025
Published: 10-12-2025

Keywords:

आरक्षण, लोकसभा, विधानसभा, लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, आरक्षण विधेयक

ABSTRACT

महिला आरक्षण विधेयक, 2023, जिसे औपचारिक रूप से संविधान (एक सौ छठा संशोधन) अधिनियम कहा जाता है, भारतीय राजनीति में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने की दिशा में एक निर्णायक कदम माना जाता है। यह विधेयक लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान करता है, जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें भी शामिल हैं।विधेयक का मुख्य उद्देश्य विधानमंडल में महिलाओं के निरंतर कम प्रतिनिधित्व की समस्या को दूर करना तथा शासन प्रणाली को अधिक समावेशी बनाना है। 1996 में इसके प्रथम प्रस्ताव के बाद कई दशकों तक चले विमर्श के उपरांत यह विधेयक अंततः पारित हुआ।हालाँकि, इसके प्रभावी क्रियान्वयन में विलंब संभावित है, क्योंकि इसकी लागू होने की प्रक्रिया आगामी जनगणना और परिसीमन के पूरा होने पर निर्भर करती है। इसके अतिरिक्त, ओबीसी तथा अल्पसंख्यक महिलाओं के पृथक प्रतिनिधित्व के अभाव को लेकर भी चिंताएँ व्यक्त की जा रही हैं, जबकि यह विधेयक महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने और नीतिगत विविधता को प्रोत्साहित करने की पर्याप्त क्षमता रखता है। यह शोध पत्र विधेयक की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्रमुख प्रावधानों,

महत्व तथा इससे संबंधित चुनौतियों का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। यह अध्ययन निष्कर्ष प्रस्तुत करता है कि महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण, एक सीमा तक, समाज में अधिक समानता-आधारित व्यवस्था को प्रोत्साहित कर सकता है, क्योंकि यह लैंगिक असमानताओं को कम करने और भारतीय महिलाओं की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रभावी नीतिनिर्माण को बढ़ावा देता है।

प्रस्तावना

सितंबर 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को संसद द्वारा पारित किया गया, जिसे संविधान के 106वें संशोधन अधिनियम के रूप में अधिसूचित किया गया। यह अधिनियम भारत में लैंगिक रूप से समान तथा समावेशी राजनीतिक प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम के रूप में उभरा है। इस कानून के अनुसार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटों का आरक्षण अनिवार्य किया गया है, जो भारतीय राजनीति में लंबे समय से विद्यमान लैंगिक असमानताओं को दूर करने हेतु एक निर्णायक नीतिगत हस्तक्षेप है।[i] भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की गारंटी देता है और लिंग, जाति, धर्म या जातीय आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव का निषेध करता है। इसके बावजूद ऐतिहासिक रूप से विधायी संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी अत्यंत कम रही है। 14वीं लोकसभा चुनाव (2009) तक संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व एकल अंक में ही सीमित रहा। वर्तमान समय में भी भारतीय संसद में महिलाओं की उपस्थिति 15% से कम है, जो वैश्विक औसत 26.9% तथा एशियाई औसत 21.4% की तुलना में काफी कम है।[ii]

महिलाओं के इस स्पष्ट अल्पप्रतिनिधित्व ने शासन व्यवस्था में समानता प्राप्त करने हेतु अधिक गहन और संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता को रेखांकित किया है।भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण आधार 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से 1992 में रखा गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री पी. वी. नरसिम्हा राव के नेतृत्व में इन संशोधनों के तहत ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान लागू किया गया।आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और केरल जैसे कई राज्यों ने बाद में इस आरक्षण को बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया। यह कदम जमीनी लोकतंत्र में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को केंद्रित करते हुए उनकी भूमिका को सुदृढ़ करने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण माना

गया।[iii] इन पहलों के परिणामस्वरूप पूरे देश में 14 लाख से अधिक महिलाएँ पंचायत स्तरीय संस्थाओं में निर्वाचित होकर आईं, जिससे राजनीतिक रूप से सक्षम महिलाओं का एक बड़ा समूह विकसित हुआ। हालांकि, कुछ मामलों में पुरुष परिजनों द्वारा निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की ओर से निर्णय लिए जाने (सरपंच-पति, प्रॉक्सी नेतृत्व) जैसी आलोचनाएँ भी सामने आईं, परंतु दीर्घकाल में यह प्रणाली महिलाओं में नेतृत्व-कौशल, प्रशासनिक अनुभव और राजनीतिक प्रतिभा के विकास का आधार बनी।[iv] 106वें संविधान संशोधन के सफल क्रियान्वयन के लिए अनेक पूरक सुधारों पर ध्यान देना आवश्यक है। महिलाओं के नेतृत्व को विद्यालय स्तर से ही विकसित करने तथा आरक्षण नीति को केवल विधायी संस्थाओं तक सीमित न रखकर कार्यपालिका, न्यायपालिका और संसदीय समितियों तक विस्तारित करने की आवश्यकता पर बल दिया जा रहा है।

साथ ही, हाशिए पर स्थित सामाजिक वर्गों से आने वाली महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने हेतु नामांकन प्रक्रियाओं को सुदृढ़ बनाना तथा विविध सहायक तंत्रों को विकसित करना भी आवश्यक है। इन प्रयासों के माध्यम से ही समावेशी शासन के व्यापक लक्ष्यों को वास्तविक रूप से प्राप्त किया जा सकता है।

भारत में राजनीतिक निर्णय-निर्माण की प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी लोकतांत्रिक शासन की प्रभावशीलता तथा समाज के समग्र विकास के लिए अत्यंत आवश्यक मानी जाती है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के नाते भारत समान अवसर और न्याय सुनिश्चित करने का दावा करता है, तथा भारतीय संविधान नागरिकों को सुरक्षा, स्वतंत्रता, समानता और न्याय का आश्वासन देता है। इसके बावजूद देश में महिलाओं और बालिकाओं के विरुद्ध हिंसा और लैंगिक भेदभाव के अनेक रूप अब भी व्यापक रूप से मौजूद हैं।इन परिस्थितियों में महिलाओं की स्थिति एक विरोधाभासी रूप में दिखाई देती है—जहाँ समान नागरिक अधिकारों की संवैधानिक गारंटी है, वहीं व्यवहारिक स्तर पर उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व में भारी कमी है। राजनीतिक संस्थाओं में समान भागीदारी और प्रतिनिधित्व लोकतंत्र के स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण संकेतक माना जाता है। चुनावी राजनीति में महिलाओं की भागीदारी तथा राजनीतिक दलों, मंत्री परिषदों और विधायी पदों पर उनका प्रतिनिधित्व लैंगिक समानता के लिए केंद्रीय तत्व है। परंतु भारत के चुनावी इतिहास को देखने पर स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं का विधायी प्रतिनिधित्व लगातार बहुत कम रहा है।

महिलाओं के प्रतिनिधित्व की इस विषमता को दूर करने हेतु आरक्षण संबंधी प्रावधानों की शुरुआत की गई, जिनका उद्देश्य महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में वृद्धि करना था। किंतु सामाजिक-सांस्कृतिक अवरोध, आर्थिक निर्भरता, पितृसत्तात्मक संरचना और पुरुषवादी राजनीतिक संस्कृति आज भी

महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण में बड़ी बाधाएँ मानी जाती हैं।स्त्रीवादी विचारकों ने 'पितृसत्ता' को पुरुषों और महिलाओं के बीच सत्ता-संबंधों की असमानता के रूप में व्याख्यायित किया है। उनका मानना है कि समाज के अधिकांश संस्थानों – परिवार से लेकर राजनीति और व्यवसाय तक – में पुरुष वर्चस्व महिलाओं की निर्णय-क्षमता और अवसरों को सीमित करता है।[v] कैट मिलेट के अनुसार "पितृसत्तात्मक शासन एक ऐसी संस्था है जहाँ आबादी का आधा हिस्सा, जो महिला है, उस आधे हिस्से द्वारा नियंत्रित होता है, जो पुरुष है।"

भारत में महिलाओं के कम राजनीतिक प्रतिनिधित्व के प्रमुख कारणों में राष्ट्रीय सहमति का अभाव, राजनीतिक दलों द्वारा महिला उम्मीदवारों को कम टिकट देना, संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की अनुपस्थिति, तथा महिलाओं की चुनावी प्रक्रियाओं के प्रति सीमित समझ और संसाधनों की कमी शामिल हैं।बेसलाइन रिपोर्ट (1998) ने यह दर्शाया था कि पितृसत्तात्मक राजनीतिक संस्कृति महिलाओं की चुनावी भागीदारी पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, साथ ही जाति, वर्ग और लैंगिक असमानताओं को और गहरा करती है। इसी प्रकार राजनीतिक दलों की टिकट वितरण में लैंगिक पक्षपात भी संसद में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व का प्रमुख कारण माना जाता है।[vi] भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में 1991[vii] के 73वें और 74वें संविधान संशोधनों ने एक महत्वपूर्ण आधार तैयार किया। इन संशोधनों के माध्यम से ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों में एक-तिहाई (33%) सीटों को महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया।

यह कदम जमीनी स्तर पर महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और नेतृत्व विकास को बढ़ावा देने वाला महत्वपूर्ण निर्णय था।इसके बावजूद संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधृत्व अत्यंत कम बना रहा। इसी असमानता को दूर करने के उद्देश्य से महिला आरक्षण विधेयक, 2023 पेश किया गया, जिसे संविधान (106वाँ संशोधन) अधिनियम के रूप में पारित किया गया।28 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह कानून लागू हुआ, जिसके तहत लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएँगी। आरक्षित सीटों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए भी अनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है।[viii] नारी शक्ति वंदन अधिनियम , इस विधेयक को भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं के लिए राजनीतिक अवसरों का विस्तार करने और विधायी संस्थाओं में उनके आवाज़ को अधिक प्रभावी रूप से स्थापित करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है।हालाँकि इसका क्रियान्वयन अगली जनगणना और सीटों के परिसीमन पर निर्भर होने के कारण earliest 2029 के आम चुनावों के बाद ही सम्भव है। आरक्षण 15 वर्षों की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा, जिसे संसद द्वारा बढ़ाया भी जा सकता

है।विश्व आर्थिक मंच (WEF) की “ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023” के अनुसार भारत, तुर्की और चीन जैसे देशों में अभी भी 7% से भी कम मंत्री महिलाएँ हैं। रिपोर्ट सकारात्मक रूप से यह भी बताती है कि भारत में महिलाओं का संसदीय प्रतिनिधित्व बढ़कर 15.1% हो गया है, जो 2006 के बाद से सबसे अधिक है।लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 1st लोकसभा में 5% से बढ़कर 18वीं लोकसभा में 13.6% तक पहुँचा है।2024 में 74 महिला सांसद चुनी गईं, जो 2019 के 78 सांसदों से कम हैं। 2024 के आम चुनावों में महिलाओं का मतदान प्रतिशत 65.8% रहा, जो पुरुषों से अधिक है।[ix] राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व काफी असमान है–सबसे अधिक छत्तीसगढ़ (21%), जबकि हिमाचल प्रदेश में यह केवल 1% है।[x] इन आँकड़ों से स्पष्ट है कि प्रगति तो हुई है, लेकिन महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को व्यापक बनाने के लिए अभी भी काफी सुधारों की आवश्यकता बनी हुई है।

टेबल 1: विभिन्न लोकसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 1952-2024

लोकसभा चुनाव	वर्ष	चुनाव के लिए उपलब्ध सीटों की संख्या	लोकसभा में निर्वाचित महिला सदस्य	प्रतिशत
प्रथम	1952	489	22	4 .50
द्वितीय	1957	494	27	5 .47
तृतीय	1962	494	34	6 .88
चतुर्थ	1967	523	31	5 .93
पांचवीं	1971	521	22	4 .22
छठवीं	1977	544	19	3 .49
सातवीं	1980	544	28	5 .15
आठवीं	1984	544	44	8 .09
नौवीं	1989	529	28	5 .29
दसवीं	1991	509	36	7 .07

ग्यारहवीं	1996	541	40	7 .37
बारहवीं	1998	545	44	8 .10
तेरहवीं	1999	543	44	8 .10
चौदहवीं	2004	543	47	8 .66
पंद्रहवीं	2009	543	59	10 .87
सोलहवीं	2014	543	62	11 .42
सत्रहवीं	2019	542	78	14 .39
अठारहवीं	2024	543	74	13 .6

स्रोत - भारतीय निर्वाचन आयोग,नई दिल्ली

विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व

क्रम स0	**विभिन्न राज्यों के नाम**	**महिलाओं का प्रतिनिधित्व**
1.	छत्तीसगढ़	14 %
2.	पश्चिम बंगाल	13 .7%
3.	उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड	10 -12%
4.	झारखंड	12 .4%
5.	आंध्र प्रदेश, असम,गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल,कर्नाटक, मध्य प्रदेश,मणिपुर,त्रिपुरा,मेघालय ,महाराष्ट्र, ओडिसा, सिक्किम, तेलंगाना, तमिलनाडु	12 .4%

स्रोत- https://PrsIndia.Org.

भारत में महिलाओं के आरक्षण विमर्श की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भारत में महिला आरक्षण के विचार की जड़ें स्वतंत्रता आंदोलन के काल में महिलाओं के समान अधिकारों की मांग में पाई जाती हैं। संविधान सभा की बहसें और स्वतंत्रता पूर्व सरकारी नीतियाँ भी राजनीतिक निर्णय-निर्माण में महिलाओं की भूमिका को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण रही हैं।स्वाधीनता संघर्ष के दौरान भारतीय महिलाओं ने सामाजिक सुधार अभियानों, शिक्षा के प्रचार तथा बाल विवाह उन्मूलन में उल्लेखनीय योगदान दिया। सरोजिनी नायडू, कमलादेवी चट्टोपाध्याय और एनी बेसेंट जैसी नेताओं ने महिलाओं के समान अधिकारों और राजनीतिक भागीदारी के समर्थन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।2महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे जनांदोलनों में महिलाओं की क्षमताओं को सम्मिलित कर उन्हें राष्ट्रीय संघर्ष का अभिन्न हिस्सा बनाया।

फिर भी उस समय भी औपचारिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व में महिलाओं की स्थिति सीमित रही। उदाहरणतः 1927 में बेगम जहांआरा शाह केंद्रीय विधान सभा की कुछ महिला निर्वाचित सदस्यों में से एक थीं।[xi] संविधान सभा का गठन भारतीय समाज के भीतर से ही हुआ था, फिर भी उसमें भी महिलाओं के मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। 389 सदस्यों की इस सभा में केवल 15 महिलाएँ थीं। उल्लेखनीय है कि संविधान सभा में रेनूका राय, हंसा मेहता और दाक्षायणी वेलायुधन जैसी महिलाएँ आरक्षण के विचार का विरोध करती थीं। उनका तर्क था कि यह नीति योग्यता-आधारित प्रतिनिधित्व की अवधारणा को कमज़ोर कर सकती है तथा महिलाओं के प्रति उपेक्षा बढ़ा सकती है। उनके मतानुसार, समान अवसरों के माध्यम से ही महिलाओं का सशक्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होगा।[xii]

1950 में लागू भारतीय संविधान ने समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14) तथा लैंगिक भेदभाव के निषेध (अनुच्छेद 15) को मौलिक अधिकार घोषित किया। राज्य के नीति-निरधारक सिद्धांतों में शासन और प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने का दायित्व निहित किया गया था।1974 में प्रकाशित भारत में महिलाओं की स्थिति पर समिति की रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख किया गया कि महिलाओं को जनसंख्या का आधा हिस्सा होने के बावजूद राजनीति में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलता। रिपोर्ट ने राजनीतिक दलों में लैंगिक कोटा लागू किए जाने की अनुशंसा की एवं पंचायतों तथा नगरीय निकायों में महिलाओं के आरक्षण की माँग को मजबूत स्वर दिया।

1988 में तैयार की गई राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना में विधायी संस्थाओं में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण पर ज़ोर दिया गया। इसके आधार पर 73वें और 74वें संविधान संशोधन पारित हुए जिनमें– पंचायतों एवं नगरीय निकायों में एक-तिहाई सीटें,तथा अध्यक्ष/अध्यक्षाओं के पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए। इससे जमीनी लोकतंत्र में महिलाओं के व्यापक प्रवेश का मार्ग प्रशस्त हुआ।

विधेयक की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (Historical Background of the Bill)

भारतीय संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं हेतु सीटों के आरक्षण से संबंधित विभिन्न विधेयक 1996, 1998, 1999 और 2008 में अलग-अलग समय पर प्रस्तुत किए गए। महिला आरक्षण के औपचारिक प्रस्ताव को प्रथम बार 11वीं लोकसभा के दूसरे सत्र (18 जुलाई 1996) 81वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में पहली बार लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रस्ताव रखा गया।हालांकि, इस विधेयक में जनगणना, परिसीमन और कार्यान्वयन की विशिष्ट समय-सीमा का उल्लेख नहीं था, जिसके कारण यह पास न हो सका।संसद में कांग्रेस सांसद श्रीमती कृष्णा बोस द्वारा सदन में उठाया गया, जिन्होंने संसद एवं विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की माँग रखी। इसी सत्र में लोकसभा की तत्कालीन स्पीकर श्रीमती सुमित्रा महाजन ने भी यह अनुशंसा की कि इस संबंध में विधेयक प्रस्तुत कर पारित किया जाना चाहिए।[xiii] किन्तु 1996 का सत्र किसी भी विधेयक के औपचारिक प्रस्तुतिकरण के बिना ही समाप्त हो गया।

इसके बाद केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं को एक-तिहाई सीटें आरक्षित प्रदान करने हेतु जो प्रयास हुए, उनमें सर्वोपरि प्रयास एच. डी. देवगौड़ा की सरकार (1996) का था, जिन्होंने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं हेतु 33% आरक्षण का प्रस्ताव रखा। यद्यपि यह विधेयक सदन में प्रस्तुत किया गया, परंतु सरकार के भीतर सहमति न बनने एवं प्रशासनिक उदासीनता के कारण यह चर्चा के प्रारंभिक स्तर से आगे नहीं बढ़ सका।देवगौड़ा के पश्चात अप्रैल 1997 में इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बने, लेकिन उनकी सरकार के काल में भी यह विधेयक प्रगति नहीं कर सका। मार्च 1998 में 11वीं लोकसभा के विघटन के साथ ही यह विधेयक स्वतः निरस्त हो गया।वर्ष 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली नई सरकार ने एक बार फिर महिला आरक्षण बिल को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। संविधान (चौरासीवाँ संशोधन) विधेयक, 1998 संसद में प्रस्तुत तो किया गया, परन्तु 12वीं लोकसभा के विघटन के साथ यह भी कानून न बन सका।[xiv] 1999 में पुनः गठित सरकार ने 84वाँ संशोधन विधेयक पुनर्प्रस्तुत किया, किंतु समाजवादी नेता मुलायम सिंह यादव सहित कुछ दलों ने प्रक्रियागत आपत्तियाँ उठाते हुए विधेयक में संशोधन की माँग की, जिसके परिणामस्वरूप विधेयक पारित नहीं हो सका।

तत्पश्चात वर्षों तक यह विधेयक बार-बार प्रस्तुत हुआ, किंतु प्रत्येक बार लोकसभा भंग होने या राजनीतिक सहमति के अभाव के कारण यह पारित नहीं हो पाया। 2010 15वीं लोकसभा के विघटन के साथ यह विधेयक पुनः निरस्त हो गया।[xv]

यह केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पुनः प्रस्तुत नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 19 सितंबर 2023, 106 वें संविधान संशोधन विधेयक (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) को दोनों सदनों द्वारा पारित हुआ और कानून बन गया।[9]यह महिला राजनीतिक सशक्तिकरण के इतिहास में एक वास्तविक मील का पत्थर है।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम

भारत के अमृतकाल के दौरान नव-निर्मित संसद भवन में प्रस्तुत किया गया नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इस भवन में लाया जाने वाला प्रथम विधेयक था। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण सुनिश्चित करना है। विधेयक के प्रावधानों के अनुसार–भारत की लोकसभा, राज्य विधानसभाओं तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा में लगभग एक-तिहाई (33%) सीटें महिलाओं को आवंटित की जाएँगी।इसके अतिरिक्त, यह भी सुनिश्चित किया गया है कि–अनुसूचित जाति (SC) एवं अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग हेतु आरक्षित सीटों के भीतर भी 1/3 सीटें महिला उम्मीदवारों के लिए सुरक्षित रखी जाएँ।[xvi] इस विधेयक को संसद के दोनों सदनों में सर्वसम्मति से पारित किया गया और यह 106वाँ संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में अधिसूचित हुआ।[xvii]

यह ऐतिहासिक अधिनियम–महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों की पुष्टि करता है।साथ ही उनकी निर्णय-निर्माण में उनकी समतामूलक भागीदारी को सुनिश्चित करता है और भारत में लैंगिक समानता की संवैधानिक यात्रा को सशक्त करने वाले परिवर्तनकारी कदम के रूप में देखा जाता है।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम के कुछ महत्त्वपूर्ण प्रावधान निम्नलिखित हैं–

लोकसभा में महिलाओं हेतु आरक्षण

106वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भारतीय संसद के निचले सदन – लोकसभा में 33% सीटें महिलाओं हेतु आरक्षित की जाएँगी।इसके अनुसार संविधान में अनुच्छेद 330A जोड़ा गया है, जिसके अंतर्गत–अनुसूचित जाति (SC)/अनुसूचित जनजाति (ST) के आरक्षित कोटे में भी महिलाओं हेतु 1/3 उप-आरक्षण लागू होगा।आरक्षण केवल प्रत्यक्ष चुनावों की सीटों पर लागू होगा।[xviii] इस प्रकार, लोकसभा में भरी जाने वाली कुल प्रत्यक्ष निर्वाचित सीटों में से एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, जिसमें SC/ST वर्ग की महिला सीटें भी सम्मिलित हैं।[xix]

राज्य विधानसभाओं में महिलाओं हेतु आरक्षण

राज्य विधानसभाओं में भी सीटों का एक-तिहाई हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा।इस उद्देश्य से अनुच्छेद 332A संविधान में सम्मिलित किया गया है।[xx]

यह व्यवस्था–SC/ST वर्ग की महिलाओं के लिएआरक्षित सीटों पर 33% उप-आरक्षण को अनिवार्य बनाती है।राज्य की प्रत्यक्ष चुनावों से भरी जाने वाली सीटों में भी एक-तिहाई सीटें महिला प्रतिनिधियों को आवंटित होंगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में आरक्षण

अनुच्छेद 239AA में संशोधन कर दिल्ली विधानसभा में 33% सीटें महिलाओं हेतु आरक्षित होंगी SC/ST आरक्षित श्रेणी में भी महिलाओं का 1/3 प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होगा। इसके लिए नए उपबंध (ba), (bb) और (bc) सम्मिलित किए गए हैं।यह आरक्षण प्रत्यक्ष चुनावों पर ही लागू होगा।

इसके अतिरिक्त यह प्रावधान पुदुचेरी एवं जम्मू-कश्मीर सहित केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं पर भी लागू किया गया है। इस प्रकार, दिल्ली में प्रत्यक्ष निर्वाचित सीटों के कुल भाग में से एक-तिहाई महिलाओं के लिए सुरक्षित रहेगा।[xxi]

स्तर	आरक्षण व्यवस्था	SC/ST महिलाओं हेतु उप-आरक्षण
लोकसभा	33%	हाँ
राज्य विधानसभाएँ।	33%	हाँ
दिल्ली विधानसभा	33%	हाँ

आरक्षण के प्रारम्भ का प्रावधान (नया अनुच्छेद - 334A)

106वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2023 के अंतर्गत नया अनुच्छेद 334A(1) जोड़ा गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार लोकसभा, राज्य विधानसभाओं तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा में महिलाओं हेतु आरक्षित सीटों को तभी लागू किया जाएगा जब अधिनियम लागू होने के बाद पहली जनगणना के आँकड़े प्रकाशित हो जाएँ।उन आँकड़ों के आधार पर नए परिसीमन (Delimitation) का कार्य संपन्न हो जाए।अर्थात् महिलाओं हेतु आरक्षण की यह नीति जनगणना एवं परिसीमन के बाद ही प्रभावी होगी। इसके अतिरिक्त, आरक्षण व्यवस्था 15 वर्षों की अवधि के लिए मान्य होगी, जिसे आवश्यकतानुसार आगे भी बढ़ाया जा सकता है।

अनुच्छेद 334A(2) अनुच्छेद 239A, 330A तथा 332A में निहित प्रावधानों के अधीन,यह आरक्षण संसद द्वारा निर्धारित नई समय-सीमा तक जारी रह सकता है।अर्थात, अवधि विस्तार का अधिकार भारतीय संसद के पास सुरक्षित है। **अनुच्छेद 334A(3)** इस उपबंध के अनुसार,महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का प्रत्येक परिसीमन के बाद रोटेशन किया जाएगा। इस प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की सभी निर्वाचन क्षेत्रों में महिलाओं को न्यायपूर्ण एवं समतामूलक प्रतिनिधित्व प्राप्त हो।इसे लैंगिक समानता आधारित प्रतिनिधित्व को व्यापक बनाने हेतु महत्वपूर्ण कदम माना जाता है।[xxii] नीति लागू होने की शर्त 2026 के बाद जनगणना एवं परिसीमन आरक्षण अवधि न्यूनतम 15 वर्ष सीटों का रोटेशन हर परिसीमन उपरांत।लक्ष्य सम्पूर्ण देश में न्यायसंगत महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व होगा।

अनुच्छेद 239AA दिल्ली विधान सभा से संबंधित प्रावधान

अनुच्छेद 332 राज्य विधानसभाओं में SC/ST सीट आरक्षण

अनुच्छेद 334A महिला आरक्षण की अवधि 15 वर्षों तक सुनिश्चित करना

समावेशी प्रतिनिधित्व (Inclusive Representation)

आरक्षण व्यवस्था में अनुसूचित जाति (SC) एवं अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग की महिलाओं हेतु उप-आरक्षण अनिवार्य किया गया है,जिससे हाशिये पर स्थित समुदायों की महिलाओं को भी समान प्रतिनिधित्व मिल सके। यह प्रावधान अंतर-विभेदी समानता (Intersectional Equity) के सिद्धांत को पुष्ट करता है।

सीटों का रोटेशन (Rotation of Reserved Seats)

महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें प्रत्येक परिसीमन (Delimitation) के पश्चात बदलती रहेंगी।यह व्यवस्था प्रतिनिधित्व की भौगोलिक विविधता को सक्षम बनाएगी।

लागू होने की समय सीमा (Timeline of Implementation)

यह अधिनियम 2026 के बाद होने वाली नई जनगणना एवं परिसीमन पूर्ण होने पर ही लागू किया जाएगा।अर्थात् वास्तविक प्रभाव 2028-2030 के बीच संभव है।

विधेयक का महत्व (Significance of the Bill)

महिला आरक्षण विधेयक भारतीय राजनीति में महिलाओं की स्थिति को सुदृढ़ करने की दिशा में बहु-आयामी परिवर्तनकारी भूमिका निभाता है। इसके प्रमुख महत्व निम्नलिखित हैं–

1 महिलाओं के अल्पप्रतिनिधित्व का समाधान

स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व मात्र 4.4% था,जो 18वीं लोकसभा में 13.6% तक ही पहुँच पाया है। इसी प्रकार अधिकांश राज्य विधानसभाओं में महिला प्रतिनिधित्व 10% से भी कम है। इस विधेयक के माध्यम से संसद एवं विधानसभाओं में 33% न्यूनतम महिला प्रतिनिधित्व में बढ़ोतरी होगी।उनकी निर्णय-निर्माण में समाज के आधे हिस्से की भागीदारी होगी और निर्वाचन राजनीति में महिलाओं की बढ़ती दावेदारी सुनिश्चित होगी।

2 राजनीतिक सशक्तिकरण एवं मानसिकता में परिवर्तन

आरक्षण के परिणामस्वरूप–विधायी संस्थाओं में महिलाओं की संख्या बढ़ेगी। वे एक प्रभावी निर्णयकारी दबाव समूह के रूप में उभरेंगी।और अधिक से अधिक महिलाएँ चुनाव लड़ने व जीतने के लिए प्रेरित होंगी।इसका सकारात्मक प्रभाव अन्य सामाजिक क्षेत्रों में भी दिखाई देगा,जिससे महिलाओं के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में अधिक सम्मानजनक एवं समर्थकारी होगा।

3 महिला मुद्‌दों को समग्र शासन-व्यवस्था में प्राथमिकता

महिलाओं की बढ़ी हुई भागीदारी–शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा भेदभाव उन्मूलन सामाजिक न्याय जैसे मुद्‌दों को प्राथमिक रूप से नीति-निर्धारण में स्थान प्रदान करेगी।विविध अनुभवों और दृष्टिकोणों के सम्मिलन से शासन-तंत्र अधिक प्रतिक्रिया-सक्षम एवं समावेशी बन सकेगा।

4 निर्वाचन क्षेत्रों का विकास एवं उत्तरदायित्व में वृद्‌धि

अध्ययनों से ज्ञात होता है कि– महिला जनप्रतिनिधि स्थानीय विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छ पेयजल जैसे क्षेत्रों पर विशेष बल देती हैं।महिलाओं की भागीदारी से– सामाजिक चुनौतियों का समाधान,भ्रष्टाचार में कमी,दायित्व-बोध और उत्तरदायित्व में वृद्‌धि सुनिश्चित होती है।

5 सामाजिक एवं आर्थिक विकास को प्रोत्साहन

राजनीतिक रूप से सशक्त महिलाओं द्वारा–लैंगिक-संवेदनशील विधियों का निर्माण होगा।गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच बढ़ेगा एवं कौशल विकास को बढ़ावा मिलेगा।इस आरक्षण के माध्यम से महिलाओं की आर्थिक क्षमता बढ़ेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और सामाजिक न्याय और आर्थिक समृद्धि को गति मिलेगी

6 लैंगिक असमानताओं में कमी

महिलाओं के विधायी योगदान के फलस्वरूप–नीति-निर्माण में लैंगिक समानता

होगा। निर्णय प्रक्रिया में संवेदनशीलता एवं भेदभाव के विरुद्ध प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित होगी।यह विधेयक लैंगिक अंतराल को कम करने की दिशा में

लंबे समय तक प्रभावी योगदान देगा।

7 निर्वाचन प्रभाव (Electoral Effect)

विश्लेषण से ज्ञात होता है कि जिन निर्वाचन क्षेत्रों को महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है, वहाँ आरक्षण लागू होने के पश्चात महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है। आरक्षित क्षेत्रों की तुलना में गैर-आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या तुलनात्मक रूप से कम पाई गई है। यह प्रवृत्ति इस तथ्य की पुष्टि करती है कि–

- आरक्षण नीतियाँ महिलाओं की चुनावी भागीदारी को सशक्त रूप से बढ़ाती हैं
- राजनीति में महिलाओं के प्रवेश की संभावनाएँ अधिक साकार होती हैं[24]

इस प्रकार यह अधिनियम भारतीय राजनीति को

अधिक समावेशी, न्यायसंगत और लैंगिक-संतुलित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।

कार्यान्वयन से संबंधित चुनौतियाँ

महिला आरक्षण अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन में कई बाधाएँ देखी जा सकती हैं। इनमें मुख्य चुनौतियाँ इस प्रकार हैं–

1. पितृसत्तात्मक संरचना तथा महिला नेतृत्व के प्रति प्रतिरोध

भारतीय सामाजिक व्यवस्था में अब भी यह धारणा प्रचलित है कि महिलाएँ राजनीतिक नेतृत्व में सक्षम नहीं हैं।जबकि सार्वजनिक निर्णय-निर्माण पुरुषों का क्षेत्र होता हैं। यह दृष्टिकोण महिला आरक्षण नीतियों के प्रति सामाजिक अस्वीकार्यता एवं नकारात्मक प्रतिक्रिया को जन्म देता है।यदि परिवर्तन केवल प्रतीकात्मक रह गया,तो महिलाओं की निर्णयकारी क्षमता को कमजोर किया जाएगा,जो वास्तविक नेतृत्व विकास में बाधक होगा

2. चुनावी वित्त पोषण का अभाव

भारत में चुनाव लड़ना आर्थिक रूप से अत्यंत चुनौतीपूर्ण है।महिला उम्मीदवार प्रायः–2024 के लोकसभा चुनाव आंकड़ों के अनुसार- प्रति उम्मीदवार औसत खर्च: 57.23 लाख रु.।सर्वाधिक खर्च 94.89 लाख रु. इस वित्तीय दबाव के कारण अनेक महिलाएँ उम्मीदवार बनने से वंचित रह जाती हैं।परिवार के वित्तीय सहयोग पर निर्भर संसाधनों के अभाव से ग्रसित होती हैं।पर्याप्त फंड न होने के कारण- चुनावी प्रतिस्पर्धा में प्रभावी भागीदारी बाधित होती है।महिलाओं का प्रत्याशी बनने का साहस कम होता है।यह समस्या उनके अल्पप्रतिनिधित्व का प्रमुख कारण है।

3. पारिवारिक समर्थन की कमी

भारतीय समाज में महिलाओं पर घरेलू ज़िम्मेदारियों का दायित्व होता हैं। प्रमुख देखभालकर्ता (Caregiver) की भूमिका आदि इस कारण–महिलाएँ अपने राजनीतिक लक्ष्यों को तब ही प्राथमिकता देती हैं जब उन्हें पारिवारिक भूमिकाओं से “स्वतंत्र अनुमति” मिलती है।विशेषकर साधारण वर्ग की महिलाएँ राजनीतिक आकांक्षाएँ बहुत देर से विकसित कर पाती हैं।

4. ‘सरपंच पति’ प्रथा

पंचायती राज संस्थाओं में अब भी निर्वाचित महिला प्रतिनिधि “नाममात्र प्रमुख” (सरपंच पति) होते है जिनमें निर्णय लेने का अधिकार पति/पुरुष परिजनों के पास होती है। यदि यह प्रवृत्ति जारी रही,तो महिला आरक्षण अधिनियम भी–सत्ता का वास्तविक हस्तांतरण महिलाओं तक नहीं पहुँचा पाएगा।

5. राजनीति में महिलाओं के खिलाफ हिंसा

महिला जनप्रतिनिधियों को अक्सर–चरित्रहनन,शारीरिक हिंसा,यौन उत्पीड़न,चुनावी हिंसा जैसे गंभीर खतरे झेलने पड़ते हैं।यह हिंसा–महिलाओं को राजनीति में सक्रिय होने से रोकती है। पितृसत्तात्मक सत्ता संरचना द्वारा पोषित होती है

6. कार्यान्वयन में देरी

आरक्षण का प्रभाव तभी पड़ेगा जब–2023 के बाद होने वाली जनगणना के आँकड़े उपलब्ध हों,परिसीमन प्रक्रिया पूरी हो। सीटों का रोटेशन हो जाए।यह प्रक्रिया दीर्घकालिक है,10-15 वर्ष लग सकता है।जिसके परिणामस्वरूप अधिनियम का वास्तविक प्रभाव 2029 या इसके बाद दिखाई देगा।

7. OBC महिलाओं के लिए आरक्षण का अभाव

महिला आरक्षण अधिनियम में–अन्य पिछड़ा वर्ग OBC वर्ग की महिलाओं हेतु अलग उप-आरक्षण शामिल नहीं है। मंडल आयोग (1980) के अनुसार–भारत की 52% से अधिक महिलाएँ OBC श्रेणी से आती है,किन्तु विधेयक में OBC महिलाओं हेतु अलग से कोई उप-आरक्षण निर्धारित नहीं किया गया है।वर्तमान जनसंख्या परिवर्तनों को देखते हुए यह अनुपात 60% तक होने की सम्भावना मानी जा रही है। अतः उनके प्रतिनिधित्व का अभाव–लोकतांत्रिक न्याय सिद्धांत के विपरीत है।

निष्कर्ष

महिला आरक्षण अधिनियम, 2023 केवल एक विधिक सुधार नहीं है, बल्कि भारतीय लोकतंत्र में सामाजिक परिवर्तन की दिशा में उठाया गया ऐतिहासिक कदम है। यह अधिनियम महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता को संस्थागत रूप से सुनिश्चित करता है, किन्तु इसके वास्तविक प्रभाव का निर्धारण विधायिका,कार्यपालिका,न्यायपालिका,नागरिक समाज के सामूहिक प्रयासों पर निर्भर करता है।न्यायपालिका की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण होगी क्योंकि वही संवैधानिक मूल्यों की रक्षा और लैंगिक न्याय आधारित प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित कर सकती है।भारत में लैंगिक समानता की निरंतर यात्रा में यह अधिनियम एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण के माध्यम से– लंबे समय से मौजूद राजनीतिक असमानताओं को दूर करनेमें एवं निर्णय-निर्माण में महिलाओं के अधिकारपूर्ण स्थान को सुनिश्चित करने की दिशा में निर्णायक प्रगति होगी।यह अधिनियम केवल प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व देने का प्रयास नहीं करता,बल्कि यह एक समावेशी एवं सहभागी लोकतांत्रिक ढाँचे के निर्माण का लक्ष्य रखता है,जहाँ निर्णय-प्रक्रिया में समाज के आधे हिस्से की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। हालाँकि, भारत जैसे विविधतापूर्ण एवं जटिल सामाजिक ढाँचे मेंसमान भागीदारी के वास्तविक अर्थ तभी साकार होंगे,जब महिलाओं की स्वायत्त राजनीतिक क्षमता, नेतृत्व कौशल,और निर्णय लेने की स्वतंत्रता बढ़ेगी।जैसा कि **बाबा भीमराव अंबेडकर जी** ने कहा है– “ मैं एक समुदाय की प्रगति को महिलाओं द्वारा हासिल की गई प्रगति से मानता हूं।” केवल महिलाओं की मुक्ति नहीं है;यह पूरे समाज की मुक्ति है।अर्थात् महिला आरक्षण के लाभ केवल महिलाओं तक

सीमित नहीं रहेंगे,बल्कि यह– अधिक न्यायपूर्ण समाज प्रतिनिधि लोकतंत्र और समावेशी नागरिकता की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करेगा।फिर भी, जनगणना और परिसीमन जैसी शर्तों के कारण इसके समयबद्ध क्रियान्वयन में विलंब की संभावना एक गंभीर चिंता है। यदि देरी अधिक लंबी हो गई, तो यह सुधार अपनी सार्थकता खो सकता है या सामाजिक समर्थन कमजोर पड़ सकता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

---

[i] Ministry of law and justice, Government of India,The constitution (one Hundred and sixth Amendment) Act , 2023 Available at: https:// legislative.gov.in (visited on November 5 2025).

[ii] Inter parliament Union (2023). Women in national parliaments: Global and regional average, Available at: https://www.ipu.org(visited on November 5,
2025).

[iii] R,Chattopadhyay.,& E. Duflo, (2004),“ Women as policy makers:Evidence from a randomized policy experiment in India” 72(5) Econometrica 1409 – 1443.

[iv] Kumar Sunaina &Gosh kumar Amber,“Lesson from 30 years of Women’s Reservation in panchayats” Available at: https://www.orfonline.org/expert-speak /lessons-from 30- years of-women-s-reservation- in panchayats (visited on November 5, 2025).

[v] Heywood A.,(2014) “ political ideologies, Uk: palgrave Macmillon; p.231-232.

[vi] Rai p.(2016), Women’s participation in elctroral politics india; Silent feminisation. Sage journals. Available from; https://journals.sagpub.com/doi/abs/10.1177/0262728016675529.

[vii] श्रीवास्तव पी. (सितम्बर2016), पोलिटिकल एंपावरमेंट of वूमेन एंड पंचायती राज. योजना) इंटरनेट (उपलब्ध :

https://yojna.gov.in/public-account

[viii] Government of India.the Constitution (one hundrd and sixth Amendment) Act ,2023 (internet). Avay from https://egazette.gov.in.

[ix] Aajtk न्यूज़ (26 दिसंबर 2024) , ‘ महिला वोटर्स ने पुरूषों से ज्यादा डालें वोट ‘ (नवम्बर 15,2025) को देखा गया), URL- https://www.aajtak.in

[x] Ministry of Statiscs and program Implementation . Decesion making participation by women (internet). Available from https://www.mospi.gov.in/sites/default/files/reports/_and publication/statical_publication/women_Men/mw23/Decision Making pdf.

[xi] Jan,Saima.(2024) a.women’s Reservation in India: A critical Study of the Legislation, Development and challenges.International journal of Creative Research thoughts.Volume 12,Issue2,d45-d51

[xii] Raju ,M Bhaskara.(2024). The Women Reservation act,2023: What,Whyand how an Imperative steps towards gender equality.International journal of Multidisciplinary Research and Development,Volume11,Issue11, page No.38-41.

[xiii] Rajya Sabha Secretariat,(2008), Reservation of seats for Women in legislative bodies: perspectives.New delhi: p.10-11.

[xiv] Thirteen Loksabha Debates.Session2.1999Dec23. Available from - http://164.100.47.194/Loksabha/Debates/Result13,aspx?dbs|=6790.

[xv] Rajyasbha Official Debates.Session (May 6,2008) No.213, p.293-6, Available from: https://rsdebates.nic.in/handle/123456789/204076.

[xvi] https://prdindia.org,/billtrack/prs- products/prs bill-Summary-4251

[xvii] https://www.thehindu.com/news/national/women-reservation-bill-gets-presidents-assent/article67361561.ece

[xviii] Devi pallvai (2023), An Analysis of The Nari Shakti Vandan Adhiniyam bill 2023: pavingthe Way for Women's Empowerment in legislation.Mizoram University . journal of Humanities & social sciences,Vol,IX, Issue,2,163-172.

[xix] https://egazette.gov.in/WriteReadData/2023/249053.pdf.

[xx] Opcit Devi pallavi (2023) .An Analysis of the Nari shakti Vandan Adhiniyam bill 2023.

[xxi] https://egazette.gov.in/WriteReadData/2023/249053.pdf

[xxii] https://egazette.gov.in/Write ReadData/2023/249053.pdf